रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 7, 2014/चैत्र 17, 1936
No. 201] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 7, 2014/CHAITRA 17, 1936

**भारतीय रिज़र्व बैंक**

**(विदेशी मुद्रा विभाग)**

**(केन्द्रीय कार्यालय)**

**अधिसूचना**

मुंबई, 21 मार्च, 2014

**सं. फेमा. 10ए/2014-आरबी**

**विदेशी मुद्रा प्रबंध (निष्क्रिय विदेशी मुद्रा जमाराशियों का क्रिस्टलीकरण) विनियमावली, 2014**

**सा.का.नि. 271(अ).**—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (एफ), धारा 9 की उप-धारा (बी) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रिज़र्व बैंक निष्क्रिय विदेशी मुद्रा जमाराशियों के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:**—

(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (निष्क्रिय विदेशी मुद्रा जमाराशियों का क्रिस्टलीकरण) विनियमावली, 2014 कहलाएंगे।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

**2. परिभाषाएँ:**—

इन विनियमों में जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) 'अधिनियम' से अभिप्रेत विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) है;

(ii) 'प्राधिकृत बैंक' से सहकारी बैंक सहित ऐसे बैंक (प्राधिकृत व्यापारी को छोड़कर) जिसे भारत से बाहर निवास कर रहे किसी व्यक्ति के खाते रखने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो;

(iii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसे इस अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया है;

(iv) 'क्रिस्टलीकरण' से किसी विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत निष्क्रिय जमाशेष का भारतीय रुपये में परिवर्तित होना अभिप्रेत है;

(v) 'जमा' में किसी प्राधिकृत बैंक के पास किसी खाते में जमाशेष अथवा जमा धन का शामिल होना अभिप्रेत है।

**3. निष्क्रिय विदेशी मुद्रा जमाराशियों का क्रिस्टलीकरण:**—

(1) यदि विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत निश्चित परिपक्वता अवधि वाली कोई जमाराशि उसकी परिपक्वता की तारीख से 3 वर्षों के लिए निष्क्रिय बनी रहती है, तो तीसरे वर्ष के अंत में, प्राधिकृत बैंक विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत जमा खातेगत शेष को तद्दिनांक को प्रचलित विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित करेगा। उसके पश्चात् जमाकर्ता या तो भारतीय रुपये में परिवर्तित उक्त जमा गत आगम राशि और उस पर उपचित ब्याज, यदि कोई हो, अथवा मूल जमा जो भारतीय रुपये में परिवर्तित की गई हो और भारतीय रुपये में परिवर्तित जमा गत आगम राशि पर प्राप्य ब्याज, यदि कोई हो, के समतुल्य विदेशी मुद्रा (भुगतान की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर आकलित) का दावा करने का हकदार होगा।

(2) ऐसे मामले में जहां विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत कोई जमाराशि जिसकी परिपक्वता अवधि अनिश्चित हो, यदि ऐसी जमाराशि 3 वर्षों के लिए निष्क्रिय बनी रहती है [बैंक प्रभारों के लिए किए गए नामे (डेबिट) को परिचालन न माना जाए], तो प्राधिकृत बैंक अपने पास जमाकर्ता के उपलब्ध अंतिम ज्ञात पते पर जमाकर्ता को 3 महीने का नोटिस देकर, विदेशी मुद्रा में

मूल्यवर्गीकृत ऐसी जमाराशि को, नोटिस अवधि की समाप्ति पर प्रचलित विनियम दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित करेगा। उसके पश्चात्, जमाकर्ता या तो भारतीय रुपये में परिवर्तित उक्त जमा गत आगम राशि और उस पर उपचित ब्याज, यदि कोई हो, अथवा मूल जमा जो भारतीय रुपये में परिवर्तित की गई हो और भारतीय रुपये में परिवर्तित जमा गत आगम राशि पर प्राप्य ब्याज, यदि कोई हो, के समतुल्य विदेशी मुद्रा (भुगतान की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर आकलित) का दावा करने का हकदार होगा।

[फा. सं. 1/1/ईएम/2014]

रुद्र नारायण कर, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

**RESERVE BANK OF INDIA**

**(Foreign Exchange Department)**

(Central Office)

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 21st March, 2014

**No. FEMA. 10A/2014-RB**

**Foreign Exchange Management (Crystallization of Inoperative Foreign Currency Deposits) Regulations, 2014**

**G.S.R. 271(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (3) of Section 6, sub-section (b) of Section 9 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank makes the following regulations relating to inoperative foreign currency deposits, namely:—

**1. Short title and commencement:—**

(i) These regulations may be called the Foreign Exchange Management (Crystallization of Inoperative Foreign Currency Deposits) Regulations, 2014.

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions:—**

In these Regulations unless the context otherwise requires :—

(i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);

(ii) 'Authorised Bank' means a bank including a co-operative bank (other than an authorised dealer) authorised by the Reserve Bank to maintain an account of a person resident outside Inida;

(iii) 'Authorised Dealer' means a person authorised as an authorised dealer under sub-section (1) of Section 10 of the Act;

(iv) 'Crystallisation' means conversion of credit balances in any inoperative foreign currency denominated deposit to Indian Rupee.

(v) 'Deposit' means and includes account balances or deposit of money with an Authorised bank.

**3. Crystallisation of inoperative foreign currency deposits.—**

(1) In case a foreign currency denominated deposit with a fixed maturity date remains inoperative for a period of three years from the date of maturity of the deposit, at the end of the third year, the authorised bank shall convert the balances lying in the foreign currency denominated deposit into Indian Rupee at the exchange rate prevailing as on that date. Thereafter, the depositor shall be entitled to claim either the said Indian Rupee proceeds and interest thereon, if any or the foreign currency equivalent (calculated at the rate prevalent as on the date of payment) of the Indian Rupee proceeds of the original deposit and interest, if any, on such Indian Rupee proceeds.

(2) In case of foreign currency denominated deposit with no fixed maturity period, if the deposit remains inoperative for a period of three years (debit of bank charges not to be reckoned as operation), the authorised bank shall, after giving a three month norice to the depositor at his last known address as available with it, convert the deposit from the foreign currency in which it is denominated to Inidan Rupee at the end of the notice period at the prevailing exchange rate. Thereafter, the depositor shall be entitled to claim either the said Indian Rupee proceeds and interest thereon, if any, or the foreign currency equivalent (calculated at the rate prevalent as on the date of payment) of the Indian Rupee proceeds of the original deposit and interest if any, on such Indian Rupee proceeds.

[F. No. 1/1/EM/2014]

RUDRA NARAYAN KAR, Chief General Manager-in-Charge

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.